चंडीगढ़ द्वारा राज्यसभा सीट की मांग

प्रलिम्सि के लयि:

राज्यसभा, अनुच्छेद 80, संवधिान की चौथी अनुसूची, भारतीय संवधिान की अनुसूचयिाँ, नजिी सदस्य वधियेक।

मेन्स के लयि:

नजिी सदस्य वधियेक, भारतीय संसद में केंद्रशासति प्रदेशों का प्रतनिधित्वि।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चंडीगढ़ नगर नगिम ने संवधिान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है ताकि उसके पार्षद राज्यसभा में एक प्रतनिधि भिज सकें।
- भारत के संवधिान का **अनुच्छेद 80** राज्यों की परषिद की संरचना से संबंधति है जसि **उच्च सदन (राज्य सभा)** कहा जाता है।
- अभी तक चंडीगढ़ का राज्यसभा में कोई प्रतनिधित्वि नहीं है।

प्रस्तावति वधियेक की मांग:

- बलि (नजिी सदस्य वधियेक) के द्वारा एक प्रावधान जोड़ने की मांग की गई है जसिके तहत **राज्य परषिद में केंद्रशासति प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतनिधि एिक नरि्वाचक मंडल** द्वारा चुना जाएगा।
    - नरि्वाचक मंडल में संवधिान के अनुच्छेद 80 में पंजाब नगर नगिम (चंडीगढ़ तक वसि्तार) अधनियिम, 1994 के तहत गठति चंडीगढ़ नगर नगिम के नरि्वाचति सदस्य शामलि होने चाहयि।
- **'एंट्री 32, चंडीगढ़'** के साथ संवधिान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन की मांग की गई है।
    - इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रशासति प्रदेश से राज्यों की परषिद (राज्यसभा) में प्रतनिधित्वि करने वाली सीटों की संख्या शामलि है।

चंडीगढ़ की स्थतिि:

- चंडीगढ़ बनिा वधिानसभा वाला एक केंद्रशासति प्रदेश है और नमि्न सदन या लोकसभा में संसद सदस्य (MP) की एक सीट है।
- चंडीगढ़ के नविासी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हर पाँच साल में एक सांसद का चुनाव करते हैं।
    - पुद्दुचेरी, जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलि्ली केंद्रशासति प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतनिधित्वि है, जबकि लिद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली-दमन एवं दीव, अंडमान व नकिोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का उच्च सदन (राज्यसभा) में कोई प्रतनिधित्वि नहीं है।

कानूनी आपत्तयिाँ:

- नरि्वाचति नगर नगिम पार्षद उच्च सदन (राज्यसभा) के लयि सदस्य का चयन करने हेतु नरि्वाचक मंडल का गठन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह नगर नगिम की शक्तयिों से परे है।
    - वर्ष 1966 से 1990 के बीच दलि्ली में राज्यसभा के लयि सांसदों का चयन दलि्ली मेट्रोपॉलटिन काउंसलि के सदस्यों द्वारा कयिा गया था।
    - महानगर परषिद (Metropolitan Council) और नगर नगिम (Municipal Corporation) में अंतर है।
    - वधिानमंडलों के नरि्वाचक मंडल और एमसी पार्षदों के नरि्वाचक मंडल में भी अंतर है।
    - साथ ही चंडीगढ़ में दलि्ली की तरह कोई वधिानसभा नहीं है, जो एक केंद्रशासति प्रदेश भी है, और शहर में एक महानगरीय परषिद का भी अभाव है जो राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद है।
- साथ ही राज्यसभा सांसद का चयन करना नगर नगिम के कार्यों की सूचीबद्धता के दायरे से बाहर है।
- नागरकि नकिाय (Civic Body) के कार्यों को सूचीबद्ध कयि गए कार्यों के दायरे से वसि्तारति कयिा जाना संभव नहीं होगा तथा यह नगर नगिम के ऐसे कसिी भी संवैधानकि आदेश के खलिाफ होगा।

- जैसा कि नागरिक निकाय ने संशोधन को अपनी सहमति दी है, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन इसे आगे विचार के लिये गृह मंत्रालय को भेजेगा और फिर इसे संसद को भेजा जाएगा।

निजी सदस्य विधेयक:

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री (Member of Parliament-MP) नहीं हैं, को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है।
- इसका प्रारूप तैयार करने की ज़िम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है। सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है।
- सरकारी विधेयक/सार्वजनिक विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है, निजी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है तथा उन पर चर्चा की जा सकती है।
- कई विधेयकों के मामले में एक मतपत्र प्रणाली का उपयोग विधेयकों को पेश करने के क्रम को तय करने के लिये किया जाता है।
- निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों को देखती है और उनकी तात्कालिकता एवं महत्त्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।
- सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या उसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- चर्चा के समापन पर विधेयक का संचालन करने वाला सदस्य या तो संबंधित मंत्री के अनुरोध पर इसे वापस ले सकता है या वह इसके पारित होने के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है।

सरकारी विधेयक बनाम निजी विधेयक

सरकारी विधेयक	निजी विधेयक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है।
संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिये।	इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये।
इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/demand-for-rajya-sabha-seat-to-chandigarh